

**बिहार सरकार
परिवहन विभाग**

**सं0सं0-02/कर माफी-01/2015 परि0
आदेश**

पटना, दिनांक-

जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-906, दिनांक-23.03.2018 के साथ प्रेषित कर माफी अभिलेख संख्या-01/2017-18 ग0के0-एम0के0जी0, दिनांक-23.03.2018 द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मोकामाघाट के पाँच नये वाहनों HERO ACHIVER SELF DISK 150 CC (मोटरसाईकिल) के कर विमुक्ति विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में किये जाने हेतु अभिलेख, अनुशंसा सहित उपलब्ध कराया गया है। वाहनों से संबंधित विवरणी निम्नलिखित है :-

Type of New Vehicle	Sl. No	Engine Number	Chassis Number	Period of Road Tax	Total Amount (in Rs.)
HERO ACHIVER SELF DISK 150 CC	1	KC10EJJGC00744	MBLKCS300JGC00699	ONE TIME TAX-	₹ 20,571.00
	2	KC10EJJGC00749	MBLKCS305JGC00651		
	3	KC10EJJGC00754	MBLKCS305JGC00696		
	4	KC10EJJGC00724	MBLKCS307JGC00621	RSF-	
	5	KC10EJJGC00719	MBLKCS307JGC00649		
TOTAL					₹ 23,509.00

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-910 दिनांक-23.02.2004 के आलोक में केन्द्रीय स्वामित्व वाले मोटर वाहनों को कर/अतिरिक्त कर से विमुक्ति प्रदान करने की शक्ति सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यायोजित है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-906, दिनांक-23.03.2018 के साथ संलग्न कर प्रेषित कर माफी अभिलेख संख्या-01/2017-18 ग0के0-एम0के0जी0, दिनांक-23.03.2018 द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मोकामाघाट के उपर्युक्त वाहन के लिए की गई अनुशंसा एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-910 दिनांक-23.02.2004 के आलोक में संगणित कुल कर ₹ 23,509.00 (तेईस हजार पाँच सौ नौ रुपये) में से ₹ 20,571.00 (बीस हजार पाँच सौ एकहत्तर रुपये मात्र) की विमुक्ति दी जाती है, क्योंकि बिहार मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 11, 2016) में सड़क सुरक्षा उपकर/अर्थदण्ड से माफी का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण सड़क सुरक्षा उपकर/अर्थदण्ड की राशि देय होगा। यह कर माफी इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि गणना के पुनः सत्यापनोपरान्त सही पाये जाने पर ही यह आदेश प्रभावी होगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सचिव, परिवहन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-01/2015 परि0

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय/पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मोकामाघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-01/2015 परि0 2847

पटना, दिनांक- 25/4/18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।